



Neutral Citation No. - 2026:AHC:55963

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 1019 वर्ष 2026

उदय प्रताप गुप्ता

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

...विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता: मानवेंद्र नारायण पाठक, शिव लाल

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 73

माननीय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता; राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2. वर्तमान बीएनएसएस की धारा 528 का आवेदन, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 10, प्रयागराज द्वारा परिवाद संख्या 1436 वर्ष 2022 (मनोज कुमार सिंह बनाम उदय प्रताप गुप्ता), धारा 138 पराक्राम्य लिखत अधिनियम, थाना मेजा, जिला प्रयागराज में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 19.09.2025 तथा समन आदेश दिनांक 21.09.2022 (अनुलग्नक संख्या 7 और 4) को रद्द करने के लिए दायर किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पक्षों के बीच धन का विवाद है और विपक्षी संख्या 2 ने आवेदक के विरुद्ध पराक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत परिवाद दायर किया है। यह आगे तर्क दिया गया है कि चूंकि धन के भुगतान के संबंध में कुछ विवाद है और इस प्रकार समझौते के माध्यम से विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान की अच्छी संभावना है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबालाल एच., 2010 (5) एस.सी.सी. 663 के मामले में दिए गए निर्णय पर अवलम्ब लिया है। प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या 17, 18 और 19 नीचे उद्धृत हैं:

"17. हाल ही में प्रकाशित एक टिप्पणी में, अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं [द्वारा उद्धृत: अरुण मोहन, पराक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के विषय पर विधि सुधार हेतु कुछ विचार- मामलों के अंबार से निपटना' (नई दिल्ली: यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, 2009), पृष्ठ 5]:

"...अन्य प्रकार के अपराधों के विपरीत, यहाँ सजा (जहाँ तक परिवादी का संबंध है) प्रतिशोध लेने का साधन नहीं है, बल्कि धन का भुगतान सुनिश्चित करने का एक साधन अधिक है। परिवादी की रुचि मुख्य रूप से चेक के लेखक को जेल में देखने के बजाय धन की वसूली में होती है। जेल की धमकी केवल

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

वसूली सुनिश्चित करने का एक तरीका है। उस अभियुक्त के विरुद्ध जो जेल की सजा काटने को तैयार है, चेक धारक के पास बहुत कम उपचार उपलब्ध है।

यदि हम एक तरफ उन परिवादों की संख्या की जांच करें जिनमें अंतिम निर्णय से पहले 'समझौता' या 'निस्तारण' हो गया और दूसरी तरफ वे मामले जो निर्णय और दोषसिद्धि तक पहुंचे, तो हम पाएंगे कि बड़ा हिस्सा सुलझा लिया गया और केवल एक बहुत छोटी संख्या ही जारी रही।"

18. यह काफी स्पष्ट है कि चेक बाउंस होने के अपराध के संबंध में, उपचार के दंडात्मक पहलू की तुलना में प्रतिपूरक पहलू को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विद्वान अटार्नी जनरल द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं को भी कुछ समर्थन मिलता है कि चेक बाउंस के अधिकांश मामलों में वास्तव में शमन के माध्यम से समझौता या निस्तारण किया जा रहा है, हालांकि मुकदमेबाजी के बाद के चरणों के दौरान, जिससे न्याय प्रदान करने में अनुचित देरी होती है। यहाँ समस्या मुकदमेबाजों की उस प्रवृत्ति के साथ है जिसमें वे अपने विवाद को हल करने के साधन के रूप में विलंब से शमन का चुनाव करते हैं।

19. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, विद्वान अटार्नी जनरल का तर्क यह है कि वैधानिक मार्गदर्शन के अभाव में, पक्षकार मजिस्ट्रेटों द्वारा परिवादों का संज्ञान लेने के तुरंत बाद शमन का विकल्प चुनने के बजाय अंतिम विकल्प के रूप में इसे चुन रहे हैं। ऐसे व्यवहार का एक स्पष्टीकरण यह हो सकता है कि अभियुक्त व्यक्ति मुकदमेबाजी के विभिन्न चरणों से गुजरने का जोखिम उठाने को तैयार हैं और फिर समझौते का मार्ग केवल तभी चुनते हैं जब कोई अन्य मार्ग नहीं बचता। जबकि मुकदमेबाजों के दृष्टिकोण से ऐसे व्यवहार को तर्कसंगत माना जा सकता है, कठोर तथ्य यह है कि शमन का विकल्प चुनने में अनुचित देरी विभिन्न स्तरों पर न्यायालयों के समक्ष लंबित बकाया मामलों में योगदान देती है। यदि अभियुक्त मुकदमेबाजी के बाद के चरण में अपराध के शमन के माध्यम से निस्तारण या समझौता करने के लिए तैयार है, तो यह आम तौर पर परिवादी के मामले में कुछ बल होने का संकेत है। ऐसे मामलों में यह वांछनीय होगा कि पक्षकार मुकदमेबाजी के शुरुआती चरणों के दौरान ही शमन का चुनाव करें। हालाँकि, यदि अभियुक्त के पास अन्य आधारों के अलावा गलती, जालसाजी या जबरदस्ती जैसे वैध बचाव हैं, तो मामले को निर्दिष्ट मंचों के माध्यम से लड़ा जा सकता है।"

5. अधिवक्ता के अनुरोध पर, यह निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्त आज से एक महीने की अवधि के भीतर संबंधित अधिवक्ता के माध्यम से निचली अदालत के समक्ष उपस्थित हो सकता है और समझौते के माध्यम से अपराध के शमन की मांग करते हुए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है और चेक की राशि का 10 प्रतिशत जमा कर सकता है। ऐसा आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर संबंधित न्यायालय इस संबंध में कानून के अनुसार पर्याप्त कदम उठा सकता है और अभियुक्त को आगे का अवसर प्रदान करेगा जो इस दिशा में प्रयास करने के लिए आज से अधिकतम चार महीने की अवधि से अधिक नहीं होगा। इसके पश्चात, न्यायालय आज से पांच महीने की अवधि के भीतर विशेष रूप से उच्चतम न्यायालय द्वारा दामोदर एस. प्रभु (उपरोक्त) के मामले में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए आवश्यक आदेश पारित करेगा।

6. यदि आवेदक समझौते के माध्यम से अपराध के शमन के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उपस्थित होकर विचारण का सामना करना होगा और न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही करने तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कानून द्वारा अनुमत सभी आवश्यक कदम और उपाय करने के लिए स्वतंत्र होगा।

7. उपरोक्त पांच महीने की अवधि में या आवेदन के आलोक में दिए गए निर्णय तक, जो भी पहले हो, अभियुक्त के विरुद्ध कोई दंडात्मक उपाय नहीं अपनाया जाएगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



8. यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश केवल उसी अभियुक्त के संबंध में पारित किया गया है जिसकी ओर से यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

9. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ यह आवेदन निस्तारित किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा)

18 मार्च, 2026

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"